

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 3959 / 2025

मनोज कुमार

—अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, खैरथल—तिजारा।
4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, मिलकपुरा तुर्क, खैरथल—तिजारा।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.08.2025

आदेश की दिनांक : 28.08.2025

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अभिभाषक

समक्ष :- चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता कथन है यह कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड—III, लेवल—1 के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुलवालदा जिला खैरथल—तिजारा में कार्यरत है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.07.2025 के द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष मानते हुए समायोजन पर पदस्थापन महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, मिलकपुरा तुर्क तिजारा से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ग्वालदा, तिजारा में किया गया। जहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 24.07.2025 के द्वारा कार्यग्रहण कर लिया। उनका कथन है कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी के पास ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मसीत, मुसारी में पद रिक्त होने के बादजुद ब्लॉक के दूरस्थ विद्यालय में समायोजित कर दिया गया। अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रतिबंध अवधि के दौरान किया गया है, जो उचित नहीं है। अतः अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.07.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 24.07.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी का पदस्थापन नजदीकी विद्यालयों में किसी भी रिक्त पद पर पदस्थापित किये जाने के आदेश फरमाये जावे।
3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना—पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य